कार्यालय :– प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

किराये/भाड़े पर वाहन हेतु निविदा

निविदा सूचना संख्या – 02 / 2020–21

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची में संचालित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों के क्षेत्र भ्रमण के लिए अनुबंध पर वाहन किराये/भाड़े पर लेने हेतु निविदा।

1. आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर वाहन किराये/भाड़े पर लेने हेतु दिनांक 12/04/2021 के 05 बजे अपराह्न तक सीलबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदादाता झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा ट्रैवल एजेंसी के रूप में एक स्वंय स्वामित्व/ साझेदारी फर्म आदि हो सकता है। स्वंय स्वामित्व/ साझेदारी फर्म के मामले में ट्रैवल एजेंसी के रूप में पंजीकृत निविदादाता को नीचे दिये गए प्रारूप में नाम और आवासीय पता (वर्तमान एवं स्थायी) प्रदान करना होगा।

क0 सं0	निविदादाता (स्वंय स्वामित्व/निदेशकों का नाम)	वर्तमान पता एवं संपर्क संख्या	स्थायी पता एवं संपर्क संख्या

2. कार्यालय का पता –

प्रसार प्रशिक्षण केंद्र,
हेहल, रॉची –834005

3. **अनुबंध की अवधि –**

अनुबंध की अवधि अनुबंध पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 (एक) वर्ष के लिए होगी। इस संबंध में अनुबंध पत्र निर्गत होने की तिथि अनुबंध के सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आपसी सहमति पर अनुबंध अवधि को निविदित दर के अधिकतम 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4. **आवश्यकता (वाहन) /(दैनिक आधार पर) –**

क0 सं0	वाहन का प्रकार	वाहन की सं0	आवश्यकतानुसार/दैनिक आधार पर	अभियुक्ति
1.	बस (नन–एसी/एसी, 49 व्यक्ति बैठने की क्षमता या अधिक)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार राज्य के अन्दर एव अंतर्राज्यीय	
2.	बस (नन–एसी/एसी, 33–48 व्यक्ति बैठने की क्षमता)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार राज्य के अन्दर एव अंतर्राज्यीय	
3.	बस (नन–एसी/एसी, 23–32 व्यक्ति बैठने की क्षमता)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार राज्य के अन्दर एव अंतर्राज्यीय	

5. **आवश्यक तिथि –**

- निविदा पत्र प्रकाशन की तिथि – 18 मार्च 2021
- कार्यालय से निविदा पत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय – 12 अप्रैल 2021 3 बजे अपराह्न तक।
- कार्यालय में निविदा पत्र जमा करने की तिथि एवं समय – 12 अप्रैल 2021 5 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 13 अप्रैल 2021 3 बजे अपराह्न।
- निविदा पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थान – प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची –834005

6. **आवश्यक आहर्ता –**

निविदादाता/फर्म को आहर्ता से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी तथा साक्ष्य के रूप में दस्तावेज समर्पित करना होगा –

1 निविदादाता/फर्म के पास ट्रैवल एजेंसी के रूप में न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए तथा झारखण्ड सरकार के नगरपालिका या सक्षम प्राधिकार से पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण संख्या तथा प्राधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2 निविदादाता/फर्म के पास पैन तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जमा की गई ITR की रसीद की कॉपी होनी चाहिए।

3 निविदादाता/फर्म को 50 रूपये या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पाब्लिक नोटरी द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी घटना/दुर्घटना की स्थिति में प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची के पदाधिकारी/संबंधित व्यक्ति/कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

4 वित्तीय बीड एक अलग मुहरबंद लिफाफे में संलग्न करना होगा जिसपर "वित्तीय बीड" तथा निविदा संख्या लिखा होना चाहिए।

5 परिमाण विपत्र का क्रय मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत 750.00 (सात सौ पचास) रूपये (Non-Refundable) का बैंक ड्राफ्ट जो **PRICIPAL EXTENSION TRAINING CENTRE Payable at RANCHI** होगा, जमा कर निविदा पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

6 सभी दस्तावेज पर हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

7. **सामान्य निर्देश –**

1 निविदादाता/फर्म को पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता, टेलिफोन न0/मोबाईल न0 प्रदान करना होगा। अनुबंध अवधि के दौरान पता के परिवर्तन की स्थिति में निविदादाता को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

2 निविदादाता/फर्म के पास ब्रेकडाउन की स्थिति में सेवा को पूरा करने के लिए अन्य वाहन प्रदान करने का विकल्प होना चाहिए।

3 निविदादाता/फर्म को निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को स्वहस्ताक्षरित करना होगा जो सत्यापित करेगा कि निविदादाता को निविदा के नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

8. **निविदादाता हेतु निदेश** –

1 निविदा दो लिफाफे पद्धति के अनुसार प्राप्त की जाएगी, एक लिफाफे मे तकनीकी बीड तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बीड होगा, दोनों लिफाफे को अलग–अलग मुहरबंद कर उसे एक तीसरे लिफाफे में डाल कर उसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।

2 निविदा का प्रस्ताव निर्धारित तिथि एवं समय तक मुहरबंद लिफाफे में हाथों–हाथ अथवा स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से प्राप्त किया जाएगा।

3 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अथवा अन्य माध्यम से निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4 निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

5 किसी भी सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

6 निविदादाता/फर्म से प्राप्त निविदा के आधार पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

7 प्राप्त प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची को सुरक्षित रहेगा।

9. **अनुलग्नक** :–

– निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा –

- झारखण्ड नगर निगम या सक्षम पदाधिकारी द्वारा पंजीकृत ट्रैवल एजेंसी पंजीकरण तथा GST पंजीकरण संख्या से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति (अगर लागू नहीं हो तो कारण सहित)।
- पैन और वर्ष 2019–20 का ITR दाखिल करने से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति।
- 50 रूपये या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पाब्लिक नोटरी द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र की अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी घटना/दुर्घटना की स्थिति में प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची के पदाधिकारी/संबंधित व्यक्ति/कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
- दैनिक आधार पर किराये/भाड़े पर वाहन हेतु सभी कर सहित, इंधन खर्च, चालक, खलासी, मोबिल, कुलेंट खर्च इत्यादि के साथ दर का वित्तीय बीड।

10. **कार्य आवंटन** –

तकनीकी बीड की आहर्ता प्राप्त तथा न्यूनतम दर उद्धृत करने वाली निविदादाता/फर्म को कार्यादेश दिया जाएगा। न्युन्तम दर स्वीकार करने अथवा न्युनतम दर पर वाहन की आपुर्ति करने को तैयार निविदादाता को कार्यादेश देने का अधिकार प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, रॉची को होगा। वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाये जाने या वाहन प्रदान करने में सक्षम नहीं होने के मामले में कार्यादेश अन्य निविदादाता को निविदित न्यूनतम दर पर दिया जा सकता है।

11. **नियम एवं शर्तों का स्वीकार्योक्ती –**

निविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तों को समझनें एवं स्वीकार्थ निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर के साथ हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

12. **नोटिस अवधि –**

कसी भी विवाद के मामले में अनुबंध समाप्त करने के लिए दोनों ओर से नोटिस की अवधि 2 माह होगी।

13. **विवाद निराकरण –**

आपुर्तिकर्ता / आपुर्तिकर्ता फर्म और प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल के बीच किसी विवाद के मामले में मामला सचिव/प्रधान सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को प्रेषित किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें –

1. एजेंसी को अनुबंध के आधार पर वाहन चलाने के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं का वहन करना होगा तथा अनुमोदित न्युनतम दर, टोल टैक्स, पड़ाव शुल्क (यदि हो तो, प्रस्तुत करने पर) को छोड़कर कर, फीस, दण्ड, इंधन खर्च, चालक खर्च, वाहन का रख रखाव पर खर्च या अन्य खर्च का वहन कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल द्वारा नहीं किया जाएगा।
2. वाहन का परिवहन विभाग/प्राधिकरण से परमिट होना आवश्यक है। प्राचार्य या कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल किसी भी प्रकार का चालान, क्षति, दुर्धटना की स्थिति में वाहन को, दूसरे वाहन को तथा किसी व्यक्ति को नुकसान का जिम्मेवार नहीं होगा।
3. आपुर्तिकर्ता कम समय के सूचना पर वाहन उपलब्ध कराने/वाहन बदलने की स्थिति में होनी चाहिए। यदि वाहन काम करने की स्थिति में नहीं पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रतिस्थापन के लिए लौटा दिया जाएगा। समय पर प्रतिस्थापन नहीं होने की स्थिति में कार्यालय को यह अधिकार होगा कि बाहर/बाजार से किराये पर वाहन मंगा सके ऐसी स्थिति में अतिरिक्त खर्च आपुर्तिकर्ता को वहन करना होगा।
4. ए0 सी0 वाहन के मामले में ए0 सी0 चालू हालत में नहीं रहने की स्थिति में नन–ए0सी0 बस का किराया का भुगतान किया जाएगा।
5. एजेंसी को सभी वैधानिक अधिनियम/श्रम कानून/विनियमों/मोटर वाहन अधिनियम आदि का अनुपालन करना होगा।
6. सभी कानूनी बाध्यताओं यथा बीमा, प्रदुषण नियंत्रण, सड़क कर इत्यादि का अनुपालन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस मामले में कार्यालय प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल जिम्मेवार नहीं होगा।

7. अनुबंध अवधि के दौरान सभी जोखिम को कवर करने के लिए वाहन, चालक और यात्रियों का व्यापक बीमा होना चाहिए। किसी भी दुर्घटना के मामले में इससे उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एजेंसी द्वारा पूरा किया जाएगा और कोई भी दावा कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
8. किसी भी तरह के विवाद के मामले में सचिव/प्रधान सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
9. एजेंसी किसी भी उप-एजेंसी को संलग्न नहीं करेगी या किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तान्तरित नहीं करेगी।
10. यह एजेंसी के लिए अनिवार्य है कि झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार चालकों/खलासी को कम से कम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।
11. अनुबंध शुरूआत में सिर्फ 1 (एक) वर्ष के लिए होगी। आपसी सहमती से अनुबंध अवधि को निविदित न्यूनतम दर के अधिकतम 10 % के वार्षिक वृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
12. TDS या अन्य कोई कर आयकर नियम के अनुसार श्रोत से काटा जाएगा।
13. एजेंसी द्वारा GST देयता का सही निर्वहन किया है के साक्ष्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के पिछले महीने/तिमाही तक का GST भुगतान की छायाप्रति जमा करनी होगी।
14. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यरत चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार उचित वर्दी पहनें तथा सड़क सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी हो।
15. निविदित दर वाहन के सभी सामान्य/अन्य रख रखाव, इंधन व्यय, चालकों/खलासी के वेतन, मोबिल, कुलेंट आदि खर्च के सहित होना चाहिए।
16. अनुबंध की अवधि के दौरान, जो भी कारण हो, दरों में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. वाहन अच्छी, चालू हालत तथा साफ सुथरी स्थिति में होनी चाहिए।
18. वाहन की भौतिक स्थिति/साफ सफाई संतोषजनक नहीं पाये जाने पर निविदा को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है।
19. अनुबंध के दौरान यदि नियम या शर्त में से कोई भी पूरा नहीं पाया जाता है तो प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, राँची को बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।

14/3/21
प्राचार्य
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
हेहल राँची

विवरणी –1 (वित्तीय बीड)
(निविदादाता के लेटर पैड पर)
किराये / भाड़े पर वाहन हेतु निविदा

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	व्योरा	इंधन	दर प्रतिदिन (सभी लागत सहित, अंक एवं शब्द में) (रू0)
1.	बस (नन–एसी, 49 व्यक्ति बैठने की क्षमता या अधिक)	दैनिक किराये के आधार पर (100 कि0मी0 या 8 घंटा प्रति दिन, जो कम हो।)	इंधन सहित	
2.	बस (नन–एसी, 33–48 व्यक्ति बैठने की क्षमता)	दैनिक किराये के आधार पर (100 कि0मी0 या 8 घंटा प्रति दिन, जो कम हो।)	इंधन सहित	
3.	बस (नन–एसी, 23–32 व्यक्ति बैठने की क्षमता)	दैनिक किराये के आधार पर (100 कि0मी0 या 8 घंटा प्रति दिन, जो कम हो।)	इंधन सहित	
4.	बस (एसी, 49 व्यक्ति बैठने की क्षमता या अधिक)	दैनिक किराये के आधार पर (100 कि0मी0 या 8 घंटा प्रति दिन, जो कम हो।)	इंधन सहित	
5.	बस (एसी, 33–48 व्यक्ति बैठने की क्षमता)	दैनिक किराये के आधार पर (100 कि0मी0 या 8 घंटा प्रति दिन, जो कम हो।)	इंधन सहित	
6.	बस (एसी, 23–32 व्यक्ति बैठने की क्षमता)	दैनिक किराये के आधार पर (100 कि0मी0 या 8 घंटा प्रति दिन, जो कम हो।)	इंधन सहित	

- निर्दिष्ट कि0मी0 और घंटे से अधिक के लिए शुल्क यथानुपात आधार पर देय होगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर सहित)